संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश
सतपुडा भवन, छटवीं मंजिल , मध्य प्रदेश भोपाल
दूरभाष कमांक–0755–2550186 फेक्स 0755–2551719,2550186

कमांक 1209 / पी0जी0 / प्रवेश / संचिशि / 2016 भोपाल दिनांक 21 / 05 / 2016

/ / सूचना / /

शासकीय स्वशासी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पी0जी0 2016 की द्वितीय चरण काउंसलिंग के उपरान्त सभी रिक्त रही सीटों पर आवंटन एवं प्रवेश प्रकिया के संबंध में सूचना

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा AIPGMEE-2016 (आल इण्डिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेंस एग्जामिनेशन) तथा AIPGDEE-2016(आल इण्डिया पोस्ट ग्रेज्युएट डेंटल एन्ट्रेंस एग्जामिनेशन) की मैरिट के आधार पर पी0जी0 2016 की **द्वितीय चरण काउंसलिंग के उपरान्त सभी रिक्त रही सीटों पर आवंटन एवं प्रवेश प्रकिया** की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा I.A. 7 & 8, W.P. 76/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18 / 01 / 2016 में निर्धारित कार्यकम एवं I.A. 83/2015 W.P. 4060/2009 में पारित निर्णय दिनांक 17 / 03 / 2016 के परिपालन में उपरोक्त विवरण अनुसार **गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक** निम्नानुसार की जायेगीः–

स0कं0	कार्यकम	अभ्यर्थी जिन्हें सम्मिलित होना है	तिथि	दिवस
1	स्कूटनी ST/SC/OBC Category (MD/MS/Dip./MDS) (आरक्षित श्रेणी) (सीट आवंटन के पूर्व रिपोर्टिंग एवं मूल दस्तावेजों का परीक्षण)	ऐसे समस्त अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के पात्र, इच्छुक एमपी आनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जो पूर्व में घोषित स्कूटनी कार्यकम (दिनांक 23 / 04 / 2016 से 26 / 04 / 2016) में किसी भी कारण से अपने दस्तावेजों की स्कूटनी नहीं करा पाये हों। नोट– ST/SC/OBC श्रेणी के ऐसे पात्र, इच्छुक एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिनकी पूर्व में स्कूटनी हो चुकी है। ऐसे अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पूर्व रिपोर्टिंग एवं मूल दस्तावेजो का परीक्षण कराना अनिवार्य है।	28 / 05 / 2016	01 दिवस
2	अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी (MD/MS/Dip./MDS) की उपलब्ध सीटों पर पात्र अभ्यर्थियों को सीट आवंटन, एवं प्रवेश की प्रकिया	अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के पात्र, इच्छुक, एम0पी0ऑनलाईन में रजिस्टर्ड, अभ्यर्थी ।	29 / 05 / 2016	01 दिवस
3	**स्कूटनी** U.R. Category (अनारक्षित श्रेणी) (MD/MS/Dip./MDS) (सीट आवंटन के पूर्व रिपोर्टिंग एवं मूल दस्तावेजों का परीक्षण)	**AIPGMEE- 2016 की मेरिट लिस्ट के अनुसार मार्क्स 1338.5404 से मार्क्स 1038.8705 तक के अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के पात्र, इच्छुक एमपी आनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी** एवं AIPGDEE-2016 के समस्त पात्र, इच्छुक एमपी आनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ऐसे समस्त पात्र, इच्छुक अनारक्षित श्रेणी के एमपी आनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जो पूर्व में घोषित स्कूटनी कार्यकम (दिनांक 23 / 04 / 2016 से	29 / 05 / 2016	01 दिवस

		26/04/2016) में किसी भी कारण से अपने दस्तावेजों की स्कूटनी नहीं करा पाये हों। नोट– U.R. श्रेणी के ऐसे पात्र इच्छुक, एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिनकी पूर्व में स्कूटनी हो चुकी है। ऐसे अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पूर्व रिपोर्टिंग एवं मूल दस्तावेजो का परीक्षण कराना अनिवार्य है।		
	अनारक्षित श्रेणी की उपलब्ध सीटों (MD/MS/Dip./MDS)पर पात्र अभ्यर्थियों को सीट आवंटन, एवं प्रवेश की प्रकिया	**AIPGMEE- 2016 की मेरिट लिस्ट के अनुसार मार्क्स 1338.5404 से मार्क्स 1038.8705 तक के अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के पात्र, इच्छुक एमपी आनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी एवं** AIPGDEE-2016 के समस्त पात्र, इच्छुक एमपी आनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ।	30/05/2016	01 दिवस
5.	**स्कूटनी** U.R. Category (अनारक्षित श्रेणी) (सीट आवंटन के पूर्व रिपोर्टिंग एवं मूल दस्तावेजों का परीक्षण)	**AIPGMEE- 2016 की मेरिट लिस्ट के अनुसार मार्क्स 1038.731 से मार्क्स 750.1189 तक के अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के पात्र, इच्छुक एमपी आनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ।** ऐसे समस्त पात्र, इच्छुक अनारक्षित श्रेणी के एमपी आनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जो पूर्व में घोषित स्कूटनी कार्यक्रम (दिनांक 23/04/2016 से 26/04/2016) में किसी भी कारण से अपने दस्तावेजों की स्कूटनी नहीं करा पाये हों। नोट– U.R. श्रेणी के ऐसे पात्र, इच्छुक, एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिनकी पूर्व में स्कूटनी हो चुकी है। ऐसे अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पूर्व रिपोर्टिंग एवं मूल दस्तावेजो का परीक्षण कराना अनिवार्य है।	30/05/2016	01 दिवस
6	**अनारक्षित श्रेणी की उपलब्ध सीटों पर पात्र अभ्यर्थियों को सीट आवंटन, एवं प्रवेश की प्रकिया**	**AIPGMEE- 2016 की मेरिट लिस्ट के अनुसार मार्क्स 1038.731 से मार्क्स 750.1189 तक के अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के पात्र, इच्छुक एमपी आनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ।**	31/05/2016	01 दिवस
		पात्रता उपरोक्त सीट आवंटन एंव प्रवेश प्रकिया में निम्न अभ्यर्थी पात्र होंगें (मध्यप्रदेश रापजत्र दि0 01 अप्रैल,2016, नियम–17 (15) :– (1) पूर्व के चरणों की काउसंलिंग के माध्यम से आवंटित सीटों पर ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जो अपनी प्रवेशित सीट में परिवर्तन के इच्छुक हैं, वे अपनी मेरिट,श्रेणी एवं पात्रतानुसार भाग ले सकेंगें । (2) ऐसे पात्र अभ्यर्थी जो पूर्व से ही एम.पी. ऑनलाईन में पंजीकृत है किन्तु उन्हें पूर्व के चरणों की काउसंलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है		

		वह भी इस काउसंलिंग में भाग लेने के लिये पात्र होंगें । **नोटः– पूर्व के चरणों की काउसंलिंग के माध्यम से आवंटित सीटों पर ऐसे प्रवेशित छात्र जो अपनी आवंटित सीट से संतुष्ट है एवं उसमें परिवर्तन नहीं चाहते है उन्हें इस सीट आवंटन एवं प्रवेश की प्रकिया में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है । उनकी प्रवेशित सीट यथावत रहेगी ।** अपात्रता *ऐसे अभ्यर्थी जो इस चरण की सीट आवंटन एवं प्रवेश की प्रकिया में भाग लेने के लिये अपात्र होंगें :–* (1) प्रथम चरण की काउसंलिंग के माध्यम से आवंटित सीटों पर ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चरण की काउसंलिंग में प्रवेश के समय Satisfied का आप्शन दिया है । (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2016 नियम–17 का उप नियम–17) (2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व के चरणों की काउसंलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है । (मध्यप्रदेश राजपत्र, 01 अप्रैल,2016 के नियम–17 के उप नियम–14 के अनुसार) (3) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व के चरणों की काउसंलिंग के माध्यम से सीट आवंटन पश्चात् संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया था परन्तु किसी भी कारणवश प्रवेश उपरांत उस प्रवेशित सीट से त्यागपंत्र दे दिया हो (मध्यप्रदेश राजपत्र, 01 अप्रैल,2016 के नियम–17 के उप नियम–16 के अनुसार)		

नोट :– रिक्त सीटों की वास्तविक जानकारी काउंसलिंग स्थल पर उपलब्ध कराई जायेगी।

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीट आवंटन एवं प्रवेश प्रकिया में भाग लेने से पूर्व प्री0पी0जी0 नियम 2016 का भली भांती अध्ययन कर समझ लेवें।
2. सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

3. आवंटन उपरान्त सीट आवंटन एवं प्रवेश स्थल पर ही प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अतः प्रवेश हेतु सभी इच्छुक अभ्यर्थी सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं निर्धारित फीस के साथ उपस्थित होवें।
4. मूल दस्तावेजों एवं फीस के अभाव में लिया गया आवंटन निरस्त हो जावेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी आगे के आवंटन के लिये अपात्र घोषित हो जायेगें।
5. फीस मल्टीसिटी चेक /बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा कराई जा सकेगी।
6. सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सीट आवंटन एवं प्रवेश प्रकिया में आवश्यकता होने पर निर्धारित तिथि के अलावा अगले दिन भी रूकने की व्यवस्था के साथ आवें।
7. उपरोक्त सीट आवंटन एवं प्रवेश की कार्यवाही एवं अन्य जानकारी संचालनालय की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in एवं एम0 पी0 ऑनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम के संबध में किसी भी प्रकार के संशोधन की जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संचालनालय एवं एम0पी0 ऑनलाईन की वेबसाईट पर लगातार इस संबंध में जानकारी प्राप्त करते रहें। इस हेतु अलग से संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा।

9|8|16

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश